विशेष विवरण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, चौमूं (जयपुर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट ग्राम पंचायत कालाडेरा)

मु.न. 55/2015

उनवान

1. रामचन्द्र पुत्र धन्नाराम, उम्र 72 वर्ष, जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी ग्राम कालाडेरा, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।

--वादी

बनाम

1. रामगोपाल पुत्र जोधाराम
2. जगदीश पुत्र जोधाराम
3. मनोज पुत्र स्व0 मोहनलाल
4. जितेश पुत्र स्व0 मोहनलाल
5. सुनील पुत्र स्व0 मोहनलाल
6. इन्द्रचंद पुत्र बंशीधर
   समस्त जाति कुमावत, निवासी ग्राम कालाडेरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
7. हजारी लाल यादव पुत्र स्व0 बालूराम, जाति अहीर, निवासी बालनाथ नगर-7, प्लाट नं. 17 रोड नं. 17 वी0के0आई0 एरिया, जयपुर जिला जयपुर।
8. रमेश कुमार सैनी पुत्र स्व0 गणेश राम सैनी, जाति माली, निवासी हीरा माली की ढाणी , देवी का नगर रोड नं. 17 वी0के0आई0 एरिया जयपुर जिला जयपुर।
9. राजस्थान सरकार, जरिये लैण्ड होल्डर , तहसीलदार महोदय, तहसील चौमूँ जिला जयपुर।
10. ललित कुमार पुत्र देवी लाल, जाति कुमावत, निवासी ग्राम कालाडेरा तहसील चौमूँ जिला जयपुर।

--प्रतिवादीगण

<u>वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा</u>

निर्णय दिनांकः- 15.06.2018

पत्रावली आज न्याय आपके द्वार कोर्ट कैम्प ग्राम पंचायत कालाडेरा मे पेश हुई। प्रार्थी ने अपने वाद में निवेदन किया है कि वाके ग्राम कालाडेरा, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर में हाल खाता संख्या 527 में वर्णित खसरा नम्बर 2840 रकबा 0.28 है0, खसरा नम्बर 2841 रकबा 0.27 है0, खसरा नम्बर 2843 रकबा 0.65 है0, खसरा नम्बरा 2844/1 रकबा 0.95 है0, खसरा नम्बर 3221 रकबा 0.58 है0, खसरा नम्बर 3223 रकबा 0.13 है0, खसरा नम्बर 3236 रकबा 0.45 है0, खसरा नम्बर 3236/3588 रकबा 0.49 है0, खसरा नम्बर 3240 रकबा 0.09 है0, खसरा नम्बर 3241 रकबा 0.18 है0, खसरा नम्बर 3242 रकबा 0.24 है0, कुल किता 11 का कुल रकबा 4.21 है0 में से हाल खसरा नम्बर 2840 रकबा 0.18 है0, खसरा नम्बर 2841 रकबा 0.27 है0 कुल किता 2 का कुल रकबा 0.45 है0 ही उपरोक्त वाद पत्र में विवादग्रस्त है जिसे कि वाद पत्र के अग्रिम मदों में विवादग्रस्त आराजीयात् के नाम से सम्बोधित किया गया है।

वाद पत्र में वर्णित विवादित आराजियात वादी व प्रतिवादीगण संख्या 10 की संयुक्त कब्जेकाश्त की खातेदारी भूमि है जिसमें वादी का 60/110 भाग निहित है

Scanned by CamScanner

जिस पर वादी काबिज होकर निरन्तर हर प्रकार के लाभ प्राप्त करता चला आ रहा है तथा वादी को वाद पत्र में वर्णित विवादित आराजियात में निहित स्वयं के हिस्से की आराजियात का हर प्रकार से उपयोग उपभोग करने का हक अधिकार प्राप्त है। उक्त विवादित आराजियात से प्रतिवादीगण संख्या 1 लगा. 8 का किसी भी प्रकार से कोई सम्बन्ध एवं सरोकार नहीं है तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 लगा. 6 की कब्जेकाश्त की खातेदारी भूमि वाद पत्र में वर्णित वादी की कब्जेकाश्त की खातेदारी भूमि के सींव लगती हुई पश्चिमी दिशा की ओर हाल खसरा नम्बर 2774/3631, 2775 लगा. 2786, 2788 लगा. 2794 कुल किता 20 का कुल रकबा 4.09 है0 स्थित है।

वाद पत्र में वर्णित वादी की कब्जेकाश्त की विवादित आराजियात के निकट ही सींव जोड प्रतिवादीगण संख्या 1 लगा. 6 की कब्जेकाश्त की खातेदारी भूमि होने के कारण प्रतिवादीगण संख्या 1 लगा. 6 आये दिन प्रतिवादीगण संख्या 7 व 8 जो कि अजनबी व्यक्ति है के साथ संगठित होकर वादी की कब्जेकाश्त की खातेदारी भूमि की सींव डोल में तोड फोड करते रहते हैं तथा वादी की विवादित आराजियात पर जबरिया कब्जा करने का प्रयत्न करते रहते हैं जिसका कि प्रतिवादीगण संख्या 1 लगा. 8 को कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं है।

प्रतिवादीगण संख्या 1 लगा. 8 द्वारा वाद पत्र में वर्णितानुसार दिनांक 24.03.15 एलानिया धमकी देने के कारण वादी, प्रवितादीगण संख्या 1 लगा. 8 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा इस कदर पाबन्द करवाने का अधिकारी है कि प्रतिवादीगण संख्या 1 लगा. 8 वाद पत्र में वर्णित विवादित आराजियात के वादी द्वारा किये जा रहे शांतिपूर्ण उपयोग उपभोग में व्यवधान कारित नहीं करें, ना ही विवादित आराजियात की सींव डोल में तोड फोड करें, ना ही विवादित आराजियात के चारो ओर वादी द्वारा सींव डोल कायम किये जाने, तार बंदी किये जाने इत्यादि में व्यवधान ही कारित करें, ना ही विवादित आराजियात पर जबरिया सीमेंट, बजरी, रोडी, मोहर्रम, डामर, इत्यादि डालकर विधि विरूद्ध तरीके से रोड कायम कर विवादित आराजियात को खुर्द बुर्द करें, ना ही विवादित आराजियात पर से वादी को बेदखल कर जबरिया कब्जा ही करें उपरोक्त समस्त कृत्य प्रतिवादीगण संख्या 1 लगा. 8 ना तो स्वयं करें, ना ही अपने किसी एजेंट, सर्वेंट, वर्कमेन इत्यादि के जरिये करें या करावें अर्थात् प्रतिवादीगण संख्या 1 लगा. 8 विवादित आराजियात की वर्तमान मौके की स्थिति यथावत बनाये रखें।

प्रतिवादीगण संख्या 1 लगा. 8 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा इस कदर पाबन्द किया जावे कि प्रतिवादीगण संख्या 1 लगा. 8 वाद पत्र में वर्णित विवादित आराजियात के वादी द्वारा किये जा रहे शांतिपूर्ण उपयोग उपभोग में व्यवधान कारित नहीं करें, ना ही विवादित आराजियात की सींव डोल में तोड फोड करें, ना ही विवादित आराजियात के चारो ओर वादी द्वारा सींव डोल कायम किये जाने, तार बंदी किये जाने इत्यादि में व्यवधान ही कारित करें, ना ही विवादित आराजियात पर जबरिया सीमेंट, बजरी, रोडी, मोहर्रम, डामर, इत्यादि डालकर विधि विरूद्ध तरीके से रोड कायम कर विवादित आराजियात को खुर्द बुर्द करें, ना ही विवादित आराजियात पर से वादी को बेदखल कर जबरिया कब्जा ही करें उपरोक्त समस्त कृत्य प्रतिवादीगण संख्या 1 लगा. 8 ना तो स्वयं करें, ना ही अपने किसी एजेंट, सर्वेंट, वर्कमेन इत्यादि के जरिये करें या करावें अर्थात् प्रतिवादीगण संख्या 1 लगा. 8 विवादित आराजियात की वर्तमान मौके की स्थिति यथावत बनाये रखें।

Scanned by CamScanner

वादी के वाद पत्र पेश करने पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई तथा प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी संख्या 1,2,4,5,6 बावजूद तामिल अनुपस्थित हैं। अतः इनके विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई जाती हैं। पत्रावली व दस्तावेजात का अवलोकलन किया गया। नकल जमाबन्दी के अनुसार वादी विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार है। नियमानुसार प्रत्येक खातेदार काश्तकार अपनी खातेदारी भूमि के उपयोग उपभेग के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकार प्राप्त है। लिहाजा वादी का वाद आंशिक स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादी का वाद स्थाई निषेधाज्ञा का आंशिक स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि विवादित भूमि आराजी खसरा नम्बर 2840 रकबा 0.28 है0, खसरा नम्बर 2841 रकबा 0.27 है0, खसरा नम्बर 2843 रकबा 0.65 है0, खसरा नम्बरा 2844/1 रकबा 0.95 है0, खसरा नम्बर 3221 रकबा 0.58 है0, खसरा नम्बर 3223 रकबा 0.13 है0, खसरा नम्बर 3236 रकबा 0.45 है0, खसरा नम्बर 3236/3588 रकबा 0.49 है0, खसरा नम्बर 3240 रकबा 0.09 है0, खसरा नम्बर 3241 रकबा 0.18 है0, खसरा नम्बर 3242 रकबा 0.24 है0, कुल किता 11 का कुल रकबा 4.21 है0 में से हाल खसरा नम्बर 2840 रकबा 0.18 है0, खसरा नम्बर 2841 रकबा 0.27 है0 कुल किता 2 का कुल रकबा 0.45 है0 ग्राम कालाडेरा तहसील चौमूं जिला जयपुर का दोनो पक्षों की मौजूदगी में सीमाज्ञान करवाने हेतु तहसीलदार चौमूं को निर्देश दिये जाते हैं साथ ही वादी एवं प्रतिवादी अपने अपने हिस्से पर कायम रहने हेतु जरिये स्थाई निषेधाज्ञा इस कदर पाबन्द किया जाता है कि वादीगण के कब्जे काश्त में मदाखलत पैदा नही करें, भूमि की किस्म को परिवर्तित ना करे एवम मौके की यथा स्थिति बनाये रखे, ऐसा ना तो स्वयं करे ना ही अपने एजेन्ट, सर्वेन्ट या वर्कमैन से करवायें। पर्चा डिक्री जारी हो।
निर्णय आज दिनांक 15.06.2018 को न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट कालाडेरा में सुनाया गया।

(प्रियव्रत सिंह चारण)
उपखण्ड अधिकारी
चौमूं (जयपुर)

Scanned by CamScanner

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, चौमूं (जयपुर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट कालाडेरा)

पीठासीन अधिकारी :– प्रियव्रत सिंह चारण (R.A.S)
मुकदमा नम्बर :– **55/2015**

उनवान

1. रामचन्द्र पुत्र धन्नाराम, उम्र 72 वर्ष, जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी ग्राम कालाडेरा, तहसील चौमूॅ, जिला जयपुर।

––वादी

बनाम

1. रामगोपाल पुत्र जोधाराम
2. जगदीश पुत्र जोधाराम
3. मनोज पुत्र स्व0 मोहनलाल
4. जितेश पुत्र स्व0 मोहनलाल
5. सुनील पुत्र स्व0 मोहनलाल
6. इन्द्रचंद पुत्र बंशीधर
   समस्त जाति कुमावत, निवासी ग्राम कालाडेरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
7. हजारी लाल यादव पुत्र स्व0 बालूराम, जाति अहीर, निवासी बालनाथ नगर–7, प्लाट नं. 17 रोड नं. 17 वी0के0आई0 एरिया, जयपुर जिला जयपुर।
8. रमेश कुमार सैनी पुत्र स्व0 गणेश राम सैनी, जाति माली, निवासी हीरा माली की ढाणी , देवी का नगर रोड नं. 17 वी0के0आई0 एरिया जयपुर जिला जयपुर।
9. राजस्थान सरकार, जरिये लैण्ड होल्डर , तहसीलदार महोदय, तहसील चौमॅू जिला जयपुर।
10. ललित कुमार पुत्र देवी लाल, जाति कुमावत, निवासी ग्राम कालाडेरा तहसील चौमॅू जिला जयपुर।

––प्रतिवादीगण

<u>वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा</u>

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू वादी मिनजामिन मुददई रूबरू प्रियव्रत सिंह चारण आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद स्थाई निषेधाज्ञा का आंशिक स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि विवादित भूमि आराजी खसरा नम्बर 2840 रकबा 0.28 है0, खसरा नम्बर 2841 रकबा 0.27 है0, खसरा नम्बर 2843 रकबा 0.65 है0, खसरा नम्बरा 2844/1 रकबा 0.95 है0, खसरा नम्बर 3221 रकबा 0.58 है0, खसरा नम्बर 3223 रकबा 0.13 है0, खसरा नम्बर 3236 रकबा 0.45 है0, खसरा नम्बर 3236/3588 रकबा 0.49 है0, खसरा नम्बर 3240 रकबा 0.09 है0, खसरा नम्बर 3241 रकबा 0.18 है0, खसरा नम्बर 3242 रकबा 0.24 है0, कुल किता 11 का कुल रकबा 4.21 है0 में से हाल खसरा नम्बर 2840 रकबा 0.18 है0, खसरा नम्बर 2841 रकबा 0.27 है0 कुल किता 2 का कुल रकबा 0.45 है0 ग्राम कालाडेरा तहसील चौमूं जिला जयपुर का दोनो पक्षों की मौजूदगी में सीमाज्ञान करवाने हेतु तहसीलदार चौमूं को निर्देश दिये जाते

Scanned by CamScanner

हैं साथ ही वादी एवं प्रतिवादी अपने अपने हिस्से पर कायम रहने हेतु जरिये स्थाई निषेधाज्ञा इस कदर पाबन्द किया जाता है कि वादीगण के कब्जे काश्त में मदाखलत पैदा नही करें, भूमि की किस्म को परिवर्तित ना करे एवम मौके की यथा स्थिति बनाये रखे, ऐसा ना तो स्वयं करे ना ही अपने एज़ेन्ट, सर्वेन्ट या वर्कमैन से करवायें।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर लोक अदालत कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत कालाडेरा मे आज तारीख 15.06.2018 को जारी किया गया।

मोहर

(प्रियव्रत सिंह चारण)
उपखण्ड अधिकारी
चौमूं (जयपुर)

मुदई	रूपये	पैसे	मुदाईला	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2		स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा	2		स्टाम्प वकालत नामा	0	
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान	4		मीजान	0	

नोटः– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

Scanned by CamScanner